न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)
दिनांक 20.7.2020

मि.न 04/2020

सरकार बनाम निदेशक जिनियस प्रा0लि0 केशवाना गुर्जर
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोनेड़ा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली के ख0 न033/0.12 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.12है0,34/0.22 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.22 है0 तथा 35/0.27 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.27 है0 भूमि पर निदेशक जिनियस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 केशवाना गुर्जर ने चार दिवारी लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत जबाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये गया । नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किये गये। सूचनापरान्त गैर सायल जिनियस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0जरिये अधिकृत प्रतिनिधी मुकेश तिवारी पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद जाति ब्राहम्मण आर/ओ0 एस.पी.एल–3 रिको औधोगिक रोड़ जयपुर जरिये अधिवक्ता संदीप बंसल उपस्थित आये । गैरसायल अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये । हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली में सलग्न दस्तावेजों पर गोर किया तो गैर सायल द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ प्रबंधक रिको का पत्र पेश किया जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम केशवाना गुर्जर की 178.42 है0राजकीय भूमि औधोगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इसके प्रिमियम का भुगतान राज्य सरकार को किया जा चुका है एवं भूमि का कब्जा निगम को दिनांक 15.10.94 को समर्पित किया जा चुका है। उक्त राजकीय भूमि भी निगम द्वारा अवाप्त की गई थी। तत्पश्चात निगम द्वारा एक औधोगिक क्षेत्र विकसित किया गया एवं विभिन्न इकाईयो को उद्योग लगाने हेतु भूखण्डों का आवंटन किया गया। अवाप्ति की यह सभी प्रक्रिया करीबन 25 वर्षो से अधिक पुरानी है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर गैर सायलान को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , पत्रावली में सलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली के ख0 न033/0.12 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.12है0,34/0.22 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.22 है0 तथा 35/0.27 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.27 है0 भूमि पर गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर

Sh 20.7.2020

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

अतिक्रमि के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल निदेशक जिनियस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली के ख0 न033/0.12 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.12है0,34/0.22 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.22 है0 तथा 35/0.27 है0 किस्म बारानी मेंसे 0.27 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 3.66 रू. का पचास गुणा 183 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते पैलन्टी वसूली ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को लिखा जावे निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 20.7..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Sh
20.7.2020
नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020 के रा० ले० 4
के पृष्ठ संख्या 73 पर 183 रू
रुपये कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली